रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032020-216485
CG-DL-E-02032020-216485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941
No. 821] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

का.आ. 895(अ).—यतः, मै. माइरोन रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने गुजरात राज्य के गाँव सान्थाल, तालुक सानन्द, जिला अहमदाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी एंव सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2311(अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.6862 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. माइरोन रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.6862 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके मेमो. सः आईसी/इन्फ्रा/एनओसी/1615731 दिनांक 17 फरवरी, 2020 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 10.6862 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अत: अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/188/2007–एसईजेड]

बी. बी. स्वेनए, अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2020

S.O. 895(E).— Whereas, M/s. Myron Realtors Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Village Santhal, Taluka Sanand, District Ahmedabad in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.6862 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2311(E) dated 11th September 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Myron Realtors Private Limited has now proposed to de-notify entire area of 10.6862 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its "No Objection" to the proposal vide letter No: IC/INFRA/NOC/1615731 dated 17th February, 2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Kandla, Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.6862 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/188/2007-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.02 10:19:40 +05'30'